न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 136/2021 निर्णय दिनांकः 25.02.2026
ऑनलाईन नंबर 2021/229

1. मंदीप बउम्र 4 वर्ष 2. दक्षिता (चीनू) बउम्र $1^1/_2$ वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कितासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर हाल पींपली चौक के पास बारून्दा जिला जोधपुर अवस्यक जरिये वादमित्र संरक्षक अपने नाना दुर्गाराम पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण राव निवासी पींपली चौक के पास, बोरून्दा जिला जोधपुर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1.बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र 2. परमेश्वरी पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण कितासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर हाल निवासीगण सैन्टल जैल बीकानेर 3. हनुमान पुत्र रामचन्द्र 4. लाली पुत्री रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण कितासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2
3. अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 स्वयं
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि उपरोक्त अनुवानी दावा वादीगण ने मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हैं, जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना हैं। प्रार्थना पत्र अवस्यक की तरफ से है, जिनकी माता नीतू को दिनांक 29.06.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने दहेज में हत्या कर दी जिसका मुकदमा नम्बर 10/21 स्टेट बनाम बाबूलाल आदि तारीख पेशी दिनांक 18.09.2021 को न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ में चल रहा हैं, उसका पिता व दादी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जे/सी हैं। दिनांक 29.06.2021 से प्रार्थीगण अपने नाना के साथ बोरून्दा जिला जोधपुर में रह रहे हैं । प्रार्थीगण की देख–रेख व पालन पोषण उसके नाना ही कर रहे हैं व नाना ही उनके नजदीकी रिश्तेदार व वादमित्र संरक्षक हैं। प्रार्थीगण की यह प्रार्थना पत्र जरिये संरक्षक वादमित्र नाना दुर्गाराम पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण 'राव' निवासी बोरून्दा जिला जोधपुर की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र को भलिभांति समझने के लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के वंशवृक्ष निम्नप्रकार से है —

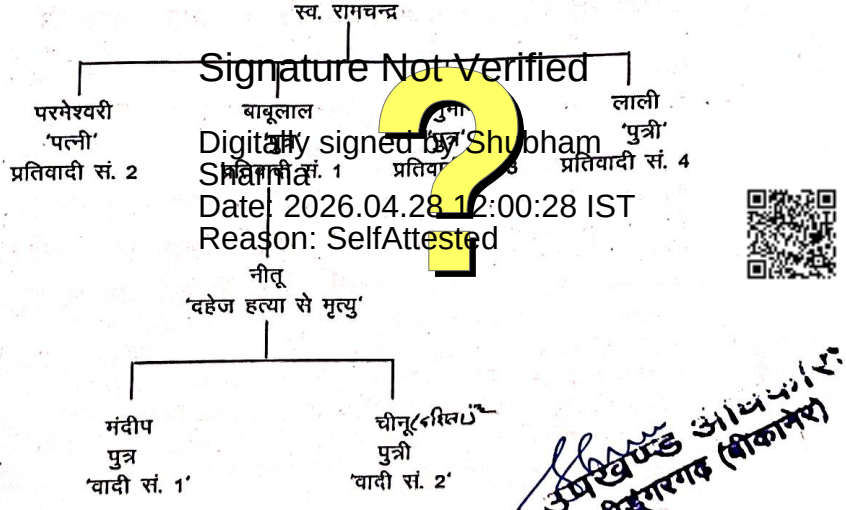

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के हैं । अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पिता हैं । अप्रार्थी संख्या 2 दादी व अप्रार्थी संख्या 3 चाचा व अप्रार्थी संख्या 4 भुवा हैं। वर्तमान खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान, तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर तथा सिचिंत भूमि हैं। जिसमें ट्यूब वैल बना हुआ हैं । उक्त खेत प्रार्थीगण के दादा रामचन्द्र की खातेदारी का खेत है। उक्त खेत स्व. रामचन्द्र की सम्पति हैं । प्रार्थीगण की यह पैतृक सम्पति हैं। जिसमें प्रार्थीगण के जन्म से ही हिस्सा हैं। प्रार्थीगण के दादा रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात् खेत नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल के हिस्से में 5/18 हिस्सा पाती में विरास्तन खेत आया उक्त खेत का 5/18 प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण पैतृक सम्पति का संयुक्त खातेदारी का खेत हैं। जिस पर प्रार्थीगण का हिस्सा जन्म से ही कब्जा, काश्त चला आ रहा हैं। उक्त खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थीगण प्रत्येक का 5/54–5/54 कुल 10/54 हिस्सा बनता हैं। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 ने भरण पोषण नही किया है। प्रार्थीगण के भरण पोषण के लिए उक्त खेत के अलावा अन्य कोई साधन नही हैं। खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं । प्रार्थीगण रामचन्द्र के पौत्र है । स्व. रामचन्द्र की मृत्यु के बाद हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 की सारणी के अनुसार प्रार्थीगण स्व. रामचन्द्र का उतराधिकारी हुये हैं। प्रार्थीगण वादगत खेत में उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक सहदायिकी की हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का वादगत खेत में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हुआ हैं । प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 के बराबर–बराबर हक व हिस्सा बनता हैं । वादगत खेत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्व. रामचन्द्र की होने से प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति हैं । हिन्दू उतराधिकार कानून के मुताबिक दादा की सम्पति में पौते की पांती का हक हिस्सा जन्म से ही हो जाता हैं । वादगत खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रत्येक प्रार्थीगण 5/54 कुल 10/54 निश्चित हैं । वादगत खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर रोही कितासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थीगण प्रत्येक का 5/54 कुल 10/54 हिस्सा होता हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के संरक्षक नाना को दिनांक 01.07.2021 को ऐलानियां धमकी दी कि तुम्हारे हिस्सा की इस सारी भूमि को जबरन किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देगें। प्रार्थीगण को हिस्से से वंचित कर देगें तब प्रार्थीगण को वादगत खेत को अप्रार्थीगण को इस नाजायज व दोषपूर्ण कृत्य को रूकवाने के लिए उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वर्जित करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र रामचन्द्र की मृत्यु के बाद से ही जन्म से ही हक व हिस्सा बनता हैं। इसलिए प्रार्थीगण को अपने प्रत्येक 5/54–5/54 कुल 10/54 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने बाबत यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं व उसी अनुसार प्रार्थीगण का नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु रिकार्ड को दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 4 द्वारा दिनांक 01.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 11:00:28 IST
Reason: SelfAttested

...खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

को प्रार्थीगण को वादगत खेत के हिस्सा की भूमि से वंचित करने व अनजबी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी देने से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं । वादगत खेतो में वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता हैं तथा वादीगण का वादगत खेत में 10/54 हिस्सा भूमि पर कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष प्रथमं दृष्ट्या मामला व सुविधा संतुलन का सिद्वान्त बनता हैं। अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.07.2021 को प्रार्थीगण के हक व हिस्से को विक्रय करने की धमकी दी है यदि अप्रार्थीगण अपने गलत मंशुबों में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर रोही मौजा कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित प्रार्थीगण के कुल 10/54 हिस्सा में प्रवेश नही करें, ना ही प्रार्थीगण के हक व हिस्सा को विक्रय, बैय, हस्तान्तरण आदि दिगर प्रकार से मुन्तकिल करें, प्रार्थीगण के कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग में बाधा, विघ्न पैदा नही करें तथा ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नही करें जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर विपरित असर पड़ता हो ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर वादगत खेत के वर्तमान खसरा नम्बर 401/203 तादादी 10.70 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी नितू ने दिनांक 29.06.2021 को खेत में बने पानी के कुण्ड में डूब कर आत्महत्या कर ली थी, जिसका नितू के परिवारवालों ने आवेश में आकर दहेज हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अप्रार्थीगण ने नितू की कतई दहेज हत्या नही की थी, बल्कि अप्रार्थीगण के विरूद्व दहेज हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया हैं। उक्त मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ में चल रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 जे सी में नही हैं, जमानत पर हैं। नीतू द्वारा आत्महत्या करने के बाद प्रार्थीगण को उनका [illegible] राम जबरदस्ती अपने साथ ले गये। प्रार्थीगण का नाना कतई संरक्षक नही है, [illegible] के वास्तविक संरक्षक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता/दादी हैं । प्रार्थीगण का नाना कतई कानूनी संरक्षक नही हैं। दुर्गाराम प्रार्थीगण की भूमि को हड़पने के लिए उक्त मुकदमा गलत आधारों पर प्रस्तुत किया हैं। दुर्गाराम को जरिये संरक्षक उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:28 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नही हैं। प्रार्थीगण का वादगत खेतो में कतई जन्म से कब्जा, काश्त नही चला आ रहा हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण का संरक्षक बाबूलाल ही 1/2 हिस्सा पर काश्त हैं। अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार अपने–अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में कतई हक हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 ही प्रार्थीगण का भरण–पोषण करता है । परन्तु नितू द्वारा आत्महत्या करने के बाद प्रार्थीगण के नाना ने प्रार्थीगण को जबरदस्ती अपने पास रख रखा हैं । दुर्गाराम कतई प्रार्थीगण सरंक्षक नंही हैं प्रार्थीगण के वास्तविक व कानूनी संरक्षक उनके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता/दादी हैं। प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार हक व हिस्सा नही बनता हैं । ऐसी स्थिति में वादगत खेत में प्रार्थीगण का कतई हक व हिस्सा नही बनता हैं । वादीगण को प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को सम्पूर्ण खेत पर स्थगन प्राप्त करने का कतई अधिकार नही हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण को खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण का वादगत खेत खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर में कतई 5/54–5/54 हिस्सा नही बनता हैं वास्तविकता तो यह है कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अपना हिस्सा मुकता पत्नी रामनिवास व ममता पत्नी राकेश कुमार व शांति पत्नी विध्याद्यर को विक्रय किया । वादगत खेत के वर्तमान खसरा नम्बर 203 नही है, बल्कि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 401/203 तादादी 10.700 हैक्टेयर हैं । परन्तु प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाने में कानूनन सक्षम नही हैं प्रार्थीगण का वादगत खेत में कतई 10/54 हिस्सा भूमि पर कब्जा, उपयोग व उपभोग नही हैं । अप्रार्थीगण वादगत खेत के रिकार्डेड खातेदार हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला है, ना ही अपूरणीय क्षति हो रही है ना ही सुविधा संतुलन का सिद्वान्त हैं । प्रार्थीगण को मूल मालिक के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण का उक्त दावा/प्रार्थना पत्र जरिये दुर्गाराम प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रार्थीगण का दुर्गाराम कतई संरक्षक नही हैं। प्रार्थीगण के वास्तविक व कानूनी संरक्षक उनके पिता व दादी हैं । दुर्गाराम को उक्त दावा/प्रार्थना पत्र जरिये संरक्षक प्रस्तुत करने की मान्य् न्यायालय द्वारा अनुज्ञा नही दी गई हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का दावा/प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण को वादगत खेत के वर्तमान खसरा नम्बर 203 तादादी 19.26 हैक्टेयर नही है । वादगत खेत के वर्तमान खसरा नम्बर 401/203 तादादी 10.70 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हैं। प्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं । फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण को खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:28 IST
Reason: Self Attested

हमने उभयक्षकारान की बहस पर [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादगत खेत खसरा नम्बर 203 तादादी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

19.26 हैक्टेयर को अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 4 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया है जिससे वादगत खेत के वर्तमान खसरा नम्बर 401/203 तादादी 10.70 हैक्टेयर कायम हुए जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का 1/2–1–2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण का तर्क है कि वादगत खेत प्रार्थीगण के दादा के रामचन्द्र के खातेदारी के रहे है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के दादा रामचन्द्र के स्वर्गवास पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। प्रार्थीगण की यह पैतृक कृषि भूमि हैं। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा हैं। जिसका निर्धारण मूल वाद में पूर्ण साक्ष्य उपरान्त ही किया जाना है। दौराने वाद यदि अराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अस्थाई निषेधाज्ञा का मुख्य प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में सुरक्षित बनाए रखना है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार का हित नही है। प्रथम दृष्ट्या, मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण (अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक) एवं अप्रार्थी संख्या 2 (स्वयं के हिस्से हेतु) के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 401/203 तादादी 10.70 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। अप्रार्थी संख्या 2 की हिस्से को पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:28 IST
Reason: SelfAttested